वित्तीय स्वीकृति-2022-23
A052-20222023-001-E 534433
सं0-7/2022/1698/52-2-2022-2(2)/2018

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सर्वे कमिश्नर वक्फ,
उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये सर्वे कमिश्नर वक्फ , उ0प्र0 के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 08 माह (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023) तक की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 के पत्र संख्या-100/व0आ0-15(33)/2022-23, दिनांक 20.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 08 माह (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023) तक की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-05/2022/867/52-2-2022-2(2)/2018 दिनांक 27.04.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये सर्वे कमिश्नर वक्फ , उ0प्र0 के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 04 माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022) तक की कुल रू0 343.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यवस्था के अनुसार सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 के अधिष्ठान व्यय हेतु बजट आवंटन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान सं0-48 के **लेखा शीर्षक "2250-अन्य सामाजिक सेवाये-आयोजनेत्तर-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-03 अधिष्ठान** के अन्तर्गत कार्यालय **सर्वे कमिश्नर वक्फ, के अधिष्ठान** व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1030.94 लाख के सापेक्ष 08 माह (अगस्त, 2022 से मार्च, 2023) तक के लिए **रू0 687.38 लाख (रूपये छः करोड़ सत्तासी लाख अड़तिस हजार मात्र**) हेतु निम्नवत् तालिका के अनुसार अधोलिखित प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख में)

क्र0	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि	माह अगस्त से मार्च, 2023 तक के लिए निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	01 -वेतन	662.00	441.34
2	03-मंहगाई भत्ता	244.94	163.30
3	04-यात्रा व्यय	5.00	3.34
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	2.00
5	06-अन्य भत्ते	5.00	3.34
6	07-मानदेय	0.25	0.17
7	08-कार्यालय व्यय	5.00	3.34
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.00	3.34
9	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	3.34
10	13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.34
11	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	2.00
12	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.50	1.67
13	18-प्रकाशन	0.05	0.04
14	42-अन्य व्यय	0.30	0.20
15	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.67
16	46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.67
17	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.67
18	49-चिकित्सा व्यय	18.00	12.00
19	51-वर्दी व्यय	0.40	0.27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

20	55-मकान किराया भत्ता	60.00	40.00
21	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	5.34
	योग	1030.94	**687.38**

4- (1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

5- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **"2250-अन्य सामाजिक सेवाये-आयोजनेत्तर-102- धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-03 अधिष्ठान** के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1698(1)/52-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

6- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।